v/;k;&VI % dj fHkUu çkfIr;k

6-1 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2005–06 के निम्न प्राप्तियों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान 290 मामले में 192.27 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होना उद्‌घटित हुआ जिसे नीचे दर्शाया गया है :

¼djkM+ #i;s esa½

Øe la[;k	Js.kh	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
d	iqfyl çkfIr;ksa ij समीक्षा	1	52-38
	dqy	1	52-38
[k	[kku ,oa [kfut		
1	रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम आरोपण	4	0.68
2	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	12	1.23
3	अर्थदण्ड/फीस का आरोपण नहीं किया जाना	15	5.90
4	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	11	4.40
5	*बालू घाट* के नहीं/अनियमित बन्दोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण नहीं/कम किया जाना	5	7.26
6	अन्य मामले	33	16.73
	dqy	80	36-20
x	ty nj		
1	सिंचाई के लक्ष्य का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	9	1.63
2	जल दर के निर्धारण में विलम्ब	14	4.86
3	अन्य मामले	61	53.23
	dqy	84	59-72
?k	Ekki ,oa rkSy		
1	माप एवं तौल के पुर्नसत्यापन नही किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं होना	1	0.13
2	राजस्व का कोषागार में जमा नहीं होना	1	0.03
	dqy	2	0-16
³	ou çkfIr;k¡		
1	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	76	35.12
2	अन्य मामलें	47	8.69
	dqy	123	43-81
	dqy ;ksx	290	192-27

दृष्टान्तस्वरूप पुलिस प्राप्तियाँ पर एक समीक्षा सहित कुछ मामले जिनमें 62.37 करोड़ रुपये का राजस्व अन्तर्निहित है, निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित हैं :

d % ifyl çkfIr;k

6-2 leh{kk % ifyl çkfIr;k

e[; vi'k

- सरकारी रेलवे पुलिस का 9.62 करोड़ रुपये की माँग, जो कि वर्ष 1979–80 से नवम्बर 2000 से संबंधित था, चार से 25 वर्षों के विलम्ब से सृजित की गयी।

¼dfMdk 6-2-8-1½

- विभागीय लेखे में पुलिस प्राप्तियों के 35.94 करोड़ रुपये का अनियमित समायोजन।

¼dfMdk 6-2-8-2½

- रेलवे से 79.44 लाख रुपये के पेंशन अंषदान एवं छुट्टी वेतन् की राशि की वसूली नहीं हुई थी।

¼dfMdk 6-2-8-3½

- जी आर पी लागत का रेलवे से संबंधित हिस्सा 11.09 करोड़ रुपये का व्यय अनियमित था।

¼dfMdk 6-2-8-4½

- आरक्षी महानिरीक्षक एवं आरक्षी उपमहानिरीक्षक कार्यालय की स्थापना पर 1.37 करोड़ रुपये के लागत की माँग का सृजन नहीं किया गया था।

¼dfMdk 6-2-9½

- वाणिज्यिक संस्थानों एवं निजी व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये पुलिस बल हेतु 5.35 करोड़ रुपये की माँग का सृजन नहीं किया गया था।

¼dfMdk 6-2-10-1 ,oa 6-2-10-2½

vuq'kalk,a

सरकार विचार कर सकती है :

- पुलिस लागत का समय पर निर्धारण, माँग का सृजन एवं संग्रहण के लिए कुषल एवं प्रभावी नियंत्रण प्रणाली हो;
- समय समय पर बकाये का निर्धारण एवं उसकी वसूली के लिए सभी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी का संधारण करना;
- सरकारी राजस्व का विभागीय व्यय हेतु अनधिकृत समायोजन से बचना; और
- अग्रिम में ही पुलिस लागत प्राप्त कर वाणिज्यिक उपक्रमों एवं निजी व्यक्तियों को पुलिस बल प्रतिनियुक्त करना।

çLrkouk

6-2-1 राज्य में पुलिस प्राप्तियाँ, पुलिस अधिनियम 1861, बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 (बी पी एम), बिहार सेवा संहिता भाग–I, बी एफ आर, सरकारी लेखा नियम 1990 (जी ए आर) और भारतीय रेल वित्तीय संहिता भाग–I द्वारा शासित होती है। पुलिस विभाग

की प्राप्तियाँ मुख्यतः अन्य सरकारों (रेलवे सहित) लोक उपक्रमों, निजी कम्पनियों एवं व्यक्तियों इत्यादि को किये गये पुलिस बल की आपूर्ति पर लागत की वसूली गई राशि, शुल्कों, जुर्माना और जब्तियों तथा विविध प्राप्तियाँ यथा अनुपयोगी घोषित सरकारी वाहनों और बिना दावा वाले/अधिहरण किये समानों की बिक्री राशि तथा सड़क पर पड़े एवं नहीं चलने लायक वाहनों को हटाने पर हुई व्यय की वसूली की राशि होती हैं।

l:xBukRed <kpk

6-2-2 गृह (आरक्षी) विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत, आरक्षी महानिदेशक (डी जी पी) विभागाध्यक्ष होते हैं जिनको मुख्यालय में, अपर आरक्षी महानिदेशक और सहायक आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा सहायता प्राप्त होती है तथा आरक्षी महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षकों (एस एस पी)/आरक्षी अधीक्षक (एस पी) क्रमशः मण्डलों, क्षेत्रों और जिलों के प्रभारी होते हैं। रेलवे के सुरक्षा के लिए पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति का दायित्त्व पुलिस महानिरीक्षक (रेल) पर होता है उन्हें एक आरक्षी उप महानिरीक्षक (रेल) एवं चार रेल आरक्षी अधीक्षकों (एस आर पी) का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में समादेष्टायें, बिहार सैन्य पुलिस (बी एम पी) होते है।

पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति रेलवे और राज्य के बाहर प्रतिनियुक्त पुलिस बलों से संबंधित पुलिस लागत की राशि के निर्धारण और संग्रहण का दायित्व डी जी पी पर होता है जबकि जिले के अंदर संस्थानों/व्यक्तियों को आपूर्ति की गई पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की लागत का निर्धारण एवं संग्रहण का दायित्व संबंधित एस पी पर होता है।

y:[kkijh{kk dk mí:';

6-2-3 पुलिस प्राप्तियों की समीक्षा यह सुनिष्चित करने के लिए किया गया कि :

- क्या पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस लागत के निर्धारण एवं संग्रहण हेतु बने अधिनियमों/नियमों के प्रावधान सही एवं प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए गये; तथा
- क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित ढंग से क्रियाषील था।

y:[kkijh{kk dk {k=

6-2-4 सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, आरक्षी महानिदेशक, आरक्षी महानिरीक्षक (रेल), चार आरक्षी अधीक्षक रेल, 40 में से 13 एस एस पी/एस पी एवं 16 में से छः समादेष्टा, बी एम पी के वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक के अभिलेखों की समीक्षा जनवरी एवं जुलाई 2006 के मध्य की गई। समीक्षा के मुख्य अवलोकन नीचे के कंडिकाओं में वर्णित हैं।

jkt Lo dh çofÙk

6-2-5 बिहार बजट प्रक्रिया (बी बी पी) में यह प्रावधान है कि राजस्व एवं प्राप्तियों के आकलन में वर्ष के अंदर उस राशि की संभावित वसूली को दर्षाया जाना चाहिए। आने वाले वर्षों के राजस्व आकलन की गणना विगत वर्ष के देय बकाया सहित वास्तविक माँग और वर्ष के दौरान उसकी वसूली की संभावना पर आधारित होनी चाहिए। राजस्व के उतार–चढ़ाव के मामले में आकलन विगत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होनी चाहिए। वित्तीय नियमावली में यह प्रावधान है कि संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्रस्तावों का नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा जाँच होनी चाहिए और आगे की कारवाई के लिए वित्त विभाग को भेजा जाना चाहिए।

विगत पाँच वर्षों के बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियाँ निम्नवत है :

¼djkM #i;s e½

o"kZ	ctV vkdyu	okLrfod izkfIr;k	deh	fHkUurk dh izfr'krrk
2000–01	149.02	4.70	(–)144.32	97
2001–02	45.00	3.98	(–)41.02	91
2002–03	46.35	22.71	(–)23.64	51
2003–04	46.35	16.86	(–)29.49	64
2004–05	24.67	13.72	(–)10.95	44

वर्ष 2000–01 एवं 2004–05 के बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियाँ में भिन्नता 44 से 97 प्रतिशत के बीच था। जनवरी 2006 में भिन्नता का कारण यद्यपि माँगे गये; भेजे नही गये थे (अक्टूबर 2006)।

वर्ष 2000–01 के दौरान 149.02 करोड़ रुपये के बजट आकलन के विरूद्ध मात्र 4.70 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति हुई, वर्ष 2001–02 के बजट आकलन कम कर 45 करोड़ रुपये किए गये जिसके विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति मात्र 3.98 करोड़ रुपये था। वर्ष 2003–04 के बजट आकलन 46.35 करोड़ रुपये के तुलना में वर्ष 2004–05 के बजट आकलन में पुनः घटा कर 24.67 करोड़ रुपये किया गया था। वर्ष 2001–02 के 3.98 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2002–03 का वास्तविक प्राप्ति 22.71 करोड़ रुपये था और इसके बाद तदन्तर इसमें ह्रास होती चली गई। अभिलेख में इस तरह के राजस्व के तदर्थ आकलन को इंगित करने का कोई तर्काधार नहीं था।

तदन्तर डी जी पी कार्यालय के वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक के बजट आकलन संबंधित अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि डी जी पी कार्यालय ने कोई बजट आकलन वित्त विभाग को समर्पित नहीं किया था। वित्त विभाग द्वारा बजट आकलन विगत वर्ष के बजट आकलन में वृद्धि/कमी के आधार पर तदर्थ रूप से तैयार किया गया था। बजट आकलन का तदर्थ आधार पर तैयार करने के वास्तविकता को वित्त विभाग ने अप्रैल 2006 में स्वीकार किया और इसका कारण संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से बजट आकलन प्राप्त नहीं होना बतलाया। इस प्रकार बजट आकलन तैयार करने मे बिहार बजट प्रक्रिया (बी बी पी) के अंतर्गत विहित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट आकलन अवास्तविक थे।

6-2-6 jktLo dk cdk;k

6-2-6-1 अगस्त 2000 एवं समय समय पर डी जी पी द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार अन्य सरकारों, निजी व्यक्तियों और वाणिज्यिक उपक्रमों को आपूर्ति की गई पुलिस बल के लागत की वसूली की प्रगति प्रतिवेदन एस एस पी/एस पी द्वारा डी जी पी को आवधिक भेजा जाना था जिससे बकायों की वसूली की प्रगति का अनुश्रवण हो सके और सरकार को भेजा जा सके।

वर्ष 2000–01 से 2004–05 से संबंधित राजस्व के बकाया की स्थिति जनवरी 2006 में माँगी गई थी। डी जी पी ने 40 में से मात्र 29 जिलों के एस एस पी/एस पी से प्राप्त सूचना उपलब्ध कराये थे जिसमें मार्च 2006 तक बकाये के 7.81 करोड़ रुपये[1] लंबित थे। वर्ष वार बकाये की विवरणी नीचे वर्णित है :

o"kZ	jkf'k ¼djkM #i;s e½
2000–01	0.18
2001–02	4.22
2002–03	0.98
2003–04	1.12
2004–05	1.31
dqy	7-81

[1] *अन्य सरकारी विभाग : 0.05 करोड़ रुपये ; अन्य व्यक्तियों : 2.81 करोड़ रुपये और निकाय/निगम/विमान पत्तन प्राधिकार : 4.95 करोड़ रुपये।*

2000–01 के पूर्व के वर्षों के बकाये की सूचना प्रस्तुत नहीं किए गये थे।

6-2-6-2 आठ जिलों के अभिलेखों के साथ डी जी पी द्वारा प्रस्तुत बकायों के विवरणों की लेखा परीक्षा द्वारा तिर्यक जाँच करने पर यह पाया गया कि डी जी पी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों एवं एस एस पी/एस पी द्वारा संधारित अभिलेखों के आँकड़ों में पर्याप्त भिन्नता थी जिसे नीचे दिखलाया गया है :

¼yk[k #i;s esa½

Øe la[;k	ftyk dk uke	Mh th ih dk;kZy; ds vuqlkj cdk;k jkf'k	lacaf/kr ftys ds ,l ih ds vuqlkj cdk;k jkf'k	vUrj
1	नालंदा	38.83	41.88	(–)3.05
2	लक्खीसराय	5.41	6.34	(–)0.93
3	मुजफ्फरपुर	7.85	84.84	(–)76.99
4	मधुबनी	9.52	52.09	(–)42.57
5	गया	शून्य	189.30	(–)189.30
6	मोतिहारी	शून्य	31.17	(–)31.17
7	कटिहार	शून्य	57.01	(–)57.01
8	बक्सर	शून्य	41.81	(–)41.81

डी जी पी एवं क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा प्राप्त बकायों के आँकड़ों में अन्तर इस बात को इंगित करता है कि जिला पुलिस प्राधिकारियों द्वारा सृजित माँग के वसूली का अनुश्रवण नहीं हुआ था।

vkarfjd fu;a=.k ç.kkyh

6-2-7 आंतरिक नियंत्रण कानूनों, नियमों एंव विभागीय अनुदेश के पर्याप्त रूप में लागू करने की सुनिश्चितता से अभिप्रेत है। आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण का एक अनिवार्य अंग है जो सामान्यतः सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित है और संगठनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि विहित प्रणाली अच्छी तरह से कार्यशील है। वित्त (लेखापरीक्षा) विभाग जो आंतरिक लेखापरीक्षक है, वर्ष 2003–04 में डी जी पी कार्यालय की मात्र वर्ष 1997–98 तक की लेखापरीक्षा की थी। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विभाग के प्राप्तियों पर कोई अवलोकन नहीं था।

6-2-7-1 बी एफ आर में यह प्रावधान करता है कि संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को यह देखना है कि सरकारी बकाया राशि का तुरंत एवं सही–सही निर्धारण, संग्रहण और कोषागार में जमा हुआ है। वसूली पर अनुश्रवण हेतु एक माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी (डी सी बी पंजी) संधारण करना है जिसमें सभी सृजित किए गये माँग, की गई वसूली और शेष बकाया उल्लेखित हो।

डी जी पी और एस एस पी/एस पी कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि किसी भी कार्यालय में डी सी बी पंजी का संधारण नहीं होता था। इन अभिलेखों के अभाव में सृजित माँग एवं की गई वसूली सुनिष्चित नहीं किया जा सका।

vkdMksa dk lek/kku ugha gksuk

6-2-7-2 फरवरी 2002 में गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार ने अनुदेश निर्गत किया कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों को कोषागार अभिश्रव संख्या एवं तिथि के साथ मद वार (शीर्षवार) एवं वर्षवार व्यय विवरणी तैयार करना है और इस प्रतिवेदन को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से समाधान/सत्यापन करा कर वांछित प्रमाणपत्र प्राप्त करना है।

चार रेल आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किए गए व्यय और महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के अनुसार व्यय की स्थिति निम्नवत है :

¼djksM+ :i;s esa½

o"kZ	0;;	, l vkj ih			
		tekyiqj	dfVgkj	eqt¶Qjiqj	iVuk
2001–02	एस आर पी	3.57	7.35	9.86	10.20
	महालेखाकार	3.12	8.28	5.92	9.37
	अन्तर	(+)0.45	(–)0.93	(+)3.94	(+)0.83
2002–03	एस आर पी	3.10	7.69	11.24	11.56
	महालेखाकार	4.13	10.22	10.16	10.51
	अन्तर	(–)1.03	(–)2.53	(+)1.08	(+)1.05
2003–04	एस आर पी	4.081	8.09	10.22	10.88
	महालेखाकार	4.084	8.41	8.87	10.78
	अन्तर	(–)0.003	(–)0.32	(+)1.35	(+)0.10
2004–05	एस आर पी	4.29	8.71	11.15	13.78
	महालेखाकार	4.35	9.05	10.41	12.80
	अन्तर	(–)0.06	(–)0.34	(+)0.74	(+)0.98

उपर्युक्त तालिका यह इंगित करता है कि वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान विभाग द्वारा प्रतिवेदित व्यय के आँकड़ों एवं महालेखाकार द्वारा लेखापित आँकड़ों में अंतर थी। फरवरी से अप्रैल 2006 के बीच यद्यपि भिन्नता के कारण माँगे गये थे लेकिन सूचित नहीं गये।

jsyos ls iqfyl cy dk çfrfu;qfä dk ykxr dh olwyh

6-2-8 बी पी एम में यह प्रावधान है कि रेलवे सहित केन्द्रीय सरकारी विभागों को पुलिस बल की आपूर्ति हेतु लागत आरोपित किया जाए। भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता, भाग–I के प्रावधानों के अनुसार सरकारी रेलवे पुलिस बल (जी आर पी) का लागत राज्य सरकार और रेलवे के बीच 50 : 50 के आधार पर बाँटा जायेगा बशर्त्ते कि कार्यबल रेलवे के अनुमोदन पर निर्धारित किया गया हो। पुलिस लागत के अंष में पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के कार्यालय एवं पर्यवेक्षीय कर्मचारी, बशर्त्ते की वे सभी सिर्फ जी. आर. पी. के प्रभार में हो, सहित जी आर पी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा भत्तों के अतिरिक्त कार्यालय व्यय और आकस्मिकताएँ, पेंशन प्रभार लागत, जी आर पी कर्मचारी द्वारा उपयोग में लाए गये भवन का किराया सम्मिलित होगा।

ekax lftr djus esa vlkekU; foyEc

6-2-8-1 बी एफ आर के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि सरकारी बकाया राशि का तुरंत एवं सही–सही निर्धारण, संग्रहण एवं कोषागार में जमा हो।

डी जी पी कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 1979–80 से 2003–04 के अवधि के लिये 53.54 करोड़ रुपये, जो जी आर पी लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा था, रेलवे से वसूलनीय था। फिर भी, दावे को विलंब से प्रस्तुत किया गया था तथा नीचे दी गई विवरणी के अनुसार विलंब छः महीने से 25 वर्षों के बीच था।

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	jsyo@lacaf/kr ,l vkj ih	vof/k	jkf'k	ekax lftr ekg	ekax dks lftu esa foyEc
1	पूर्व रेलवे/एस आर पी पटना/जमालपुर	1992–93 से 14.11.2000	5.81[2]	अक्टूबर 2004	चार से 11 वर्ष

---

[2] *5.81 करोड़ रुपये में से 0.91 करोड़ रुपये वर्ष 1992–93 से 1995–96 के अवधि का था। यह राशि, 5.83 करोड़ रुपये की माँग जो विभाग द्वारा मई 1997 में सृजित किया गया था, जैसा कि मार्च 1999 को समाप्त हुए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में बतलाया गया था, में सम्मिलित नहीं था। कथित राशि को सम्मिलित नहीं करने का कारण महालेखाकार (ले0 एवं ह0) से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना बतलाया गया।*

¼djksM #i;s esa½

Øe la-	jsyo@lacf/kr ,l vkj ih	vof/k	jkf'k	ekax lftr ekg	ekax dk l`tu esa foyac
2	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे / (एस आर पी कटिहार)	1979–80 से 1991–92	3.81	सितम्बर 2004	12 से 25 वर्ष
3	पूर्व रेलवे / एस आर पी पटना / जमालपुर	15.11.2000 से 30.09.2002	12.27	सितम्बर 2004	दो से चार वर्ष
4	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एस आर पी कटिहार)	15.11.2000 से 31.03.2004	3.63 1.87	मार्च 2004 सितम्बर 2004	छः महीने से तीन वर्ष
5	पूर्वोत्तर रेलवे एस आर पी कटिहार / मुजफ्फरपुर	15.11.2000 से 30.09.2002	2.91 0.79 0.88	अक्टूबर 2004 मार्च 2004 एवं फरवरी 2004	एक वर्ष से चार वर्ष
6	पूर्व मध्य रेलवे / एस आर पी (जमालपुर / कटिहार / पटना / मुजफ्फरपुर)	1.10.2002 से 31.03.2004	21.57	सितम्बर 2004	छः माह से दो वर्ष
		dqy	53-54		

9.62 करोड़ रुपये का दावा का सृजन चार से 25 वर्षों के विलंब से किया गया था। (जैसा की क्रम संख्या 1 एवं 2 में दिखलाया गया है)। दावा प्रस्तुत करने में विलंब इस बात को इंगित करता है कि दावा प्रस्तुतीकरण में उचित अनुश्रवण का अभाव था।

vfu;fer lek;kstu

6-2-8-2 जी ए आर के साथ पठित बी पी एम के अनुसार सभी राजस्व और प्राप्तियाँ बिना कटौती के कोषागार में भुगतित और लेखा में जमा होना चाहिए। व्यय की कटौती के पश्चात निवल प्राप्तियों का सरकारी खाता में जमा होना अनुमान्य नहीं है। आगे केन्द्रीय सरकार (रेलवे सहित) के विभाग जो आपूर्ति / सेवा प्राप्त किये थे वे अपने लेखापदाधिकारी को स्वीकृत बीजक के साथ विपत्र प्रस्तुत करेगें, जो आपूर्तिकर्त्ता सरकार के संबंधित पदाधिकारी के पक्ष में चेक / बैंक ड्राफ्ट आहरित कर भुगतान करेगा जिससे उसके दावे का निपटारा हो सके। विधायिका के मत के बिना संचित निधि से कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है।

बिहार सरकार ने जून 2004 में रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को यह सहमति दी थी कि जी आर पी की बकाया राशि 35.94 करोड़ रुपये जो राज्य को भुगतेय थी, सरकार द्वारा रेलवे ओवर / अंडर ब्रीज के निर्माण हेतु भुगतेय किस्तों में से समायोजित कर लिया जाए। तदनुसार रेलवे बोर्ड ने कुल 53.54 करोड़ रुपये, जो रेलवे से राज्य को भुगतेय था, में से 35.94 करोड़ रुपये समायोजित कर लिया।

चूँकि विधायिका से पारित बजट प्रावधान के बगैर व्यय नहीं किया जा सकता हैं, राजस्व के प्रति व्यय का समायोजन अथवा इसका विचलन, बिहार पुलिस मैनुअल और सरकारी लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

मामला, फरवरी 2006 में सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक (रेल) को बतलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक (रेल), पटना ने जुलाई 2006 में कहा कि मामला सरकार और रेलवे प्राधिकारियों को बतलाया गया है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

Nêh oru ,o i'ku v'knku dh o l yh ugh gkuk

6-2-8-3 बी पी एम के अनुसार पुलिस लागत के रेलवे के हिस्से की गणना के लिए जी आर पी के अधिकारियों सहित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, विहित दर पर गणना की गई छुट्टी वेतन एवं पेंषन अंषदान की गणना और आकस्मिक प्रभारों को षामिल किया जाता है।

पुलिस महानिरीक्षक (रेल) के अभिलेखों के जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 1996–97 से सितम्बर 2002 तक के अवधि में 79.44 लाख रुपये जो जी आर पी के छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान से संबंधित था, रेलवे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

इसे बतलाये जाने के पश्चात विभाग ने उत्तर दिया कि दावा रेलवे द्वारा महालेखाकार के प्रमाणपत्र के अभाव में स्वीकार नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महालेखाकार द्वारा वर्ष 1996–97 से सितम्बर 2002 का लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका था जो वर्ष के दौरान किए गए व्यय से संबंधित था। छुट्टी वेतन एवं पेंषन अंषदान की गणना विहित दर पर वार्षिक आधार पर की जाती है और इस उद्ेष्य हेतु लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र की आवष्यकता नहीं है।

vfu;fer 0;;

6-2-8-4 जी ए आर के प्रावधानों के अन्तर्गत जी आर पी के लागत राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच 50:50 के आधार पर बाँटा जायगा वषर्त्ते की पुलिस बल की तैनाती रेलवे के अनुमोदन के पष्चात् हुआ हो।

एस आर पी मुजफ्फरपुर एवं पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2000–01 से वर्ष 2004–05 के दौरान विभाग ने रेलवे द्वारा स्वीकृत/अनुमोदन किए गये पद से 335 से 475 पुलिस बल अधिक तैनात किया था और इस पर 22.18 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। इस प्रकार विभाग ने नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार 11.09 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय वहन किया, जो रेलवे का हिस्सा था।

o"k	ftyk	jyo }kjk vuekfnr Lohdr ifyl cy	dk;jr ifyl cy	çfrfu;fDr ¼$½vf/kd@¼&½ de	0;; ¼djkM #i;s e½
2000–01	मुजफ्फरपुर	845	823	(–)22	
	पटना	677	1,034	(+)357	
	dy	1]522	1]857	¼$½335	1-45
2001–02	मुजफ्फरपुर	845	991	(+)146	
	पटना	677	1,006	(+)329	
	dy	1]522	1]997	¼$½475	5-28
2002–03	मुजफ्फरपुर	845	919	(+)74	
	पटना	677	996	(+)319	
	dy	1]522	1]915	¼$½393	5-16
2003–04	मुजफ्फरपुर	845	894	(+)49	
	पटना	677	1,012	(+)335	
	dy	1]522	1]906	¼$½384	4-69
2004–05	मुजफ्फरपुर	845	938	(+)93	
	पटना	677	979	(+)302	
	dy	1]522	1]917	¼$½395	5-60
dy ;kx					22-18

I jdkjh yk[kk fu;e e deh

6-2-9 जी ए आर में प्राविधित है कि रेलवे के हिस्से की गणना के लिए आरक्षी अधीक्षक स्तर तक के वेतन एवं भत्ते को शामिल किया जाना है, जबकि भारतीय रेलवे

वित्तीय संहिता, भाग–I के अनुसार रेलवे हिस्से की गणना करते समय पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) स्तर तक के वेतन एवं भत्ते को सम्मिलित करना है, बषर्ते की वे सभी केवल जी आर पी के प्रभार में हों।

डी जी पी कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) एवं पुलिस उप महानिरीक्षक (रेलवे) के स्थापना के वेतन एवं भत्ते पर 2.74 करोड़ रुपये का व्यय किया था लेकिन भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता भाग–I, में निहित प्रावधानों के शर्तों के अनुसार रेलवे से 1.37 करोड़ रुपये का माँग जो रेलवे के हिस्से का 50 प्रतिषत था, नहीं की गयी थी। इस प्रकार सरकार 1.37 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रहा।

इसे बतलाये जाने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे), पटना ने जुलाई 2006 में कहा कि मामला रेलवे प्राधिकारी को बतलाया गया है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

okf.kfT;d laLFkkuksa ,oa 0;fä;ksa dks fd;s x;s ftyk iqfyl cy dh vkiwfrZ gsrq ykxr dh olwyh

6-2-10 पुलिस अधिनियम, के साथ पठित बिहार पुलिस मैन्युअल एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार के विभागों, राज्य विद्युत बोर्ड, केन्द्र एवं राज्य के सरकारी उपक्रमों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, निजी व्यक्तियों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों को सुरक्षा गार्ड एवं पुलिस बलों की आपूर्ति, पुलिस लागत की अग्रिम में भुगतान करने के पश्चात ही की जा सकती है।

ekax dk l`tu ugha fd;k tkuk

6-2-10-1 चार पुलिस अधीक्षक एवं एक समादेष्टा के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2000–01 एवं 2004–05 के अवधि के दौरान पुलिस बल[3] को विभिन्न वाणिज्यिक संस्थानों में प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन पुलिस लागत का 2.64 करोड़ रुपये के माँग का ना तो निर्धारण किया गया और न ही माँग का सृजन किया गया था जैसा की नीचे वर्णित है :

¼yk[k #i;s esa½

Øe la-	dk;kZy; dk uke	bdkbZ dk uke tgka dk;cy çfrfu;qDr fd;k x;k Fkk	vof/k	jkf'k
1	एस. पी. गया	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, गया (एच:01, सी:05)	2000–01 से 2004–05	20.19
		बैंक ऑफ बड़ौदा, गया (एच:01, सी:05)	2000–01 से 2004–05	20.19
		मैत्रिय परियोजना, गया (एच:01, सी:04)	2000–01 से 2004–05	16.86
		सड़क संस्थान, गया (एच:01, सी:05)	2000–01 से 2004–05	20.19
		डोंगेश्वरी पीकेट, गया (एच:01, सी:10)	2000–01 से 2004–05	36.86
		आमस ओरियन्टल, गया (एच:03, सी:27) (एच:03, सी:16) (एच:01, सी:08)	6.02.03 से 8.09.03 15.10.03 से 31.12.04 01.01.05 से 31.03.05	14.15 21.65 2.08
2	एस पी मधुबनी	भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर (एच: 01, सी:04)	2000–01 से 2004–05	20.25
3	एस पी नालंदा	भारतीय स्टेट बैंक, नालंदा (एच:01 , सी:06)	2000–01 से 2004–05	23.53
		म्यूजियम, नालंदा (एच:01, सी:04)	2000–01 से 2004–05	16.86

[3] *प्रधान आरक्षी (एच), आरक्षी (सी)*

¼yk[k #i;s esa½

Øe l-	dk;kZy; dk uke	bdkbZ dk uke tgk dk;Zjr fd;k x;k Fkk	vof/k	jkf'k
4	वरीय एस पी, पटना	टी भी टॉवर, अगमकुँआ (सी:01)	2001–02 से 2004–05	3.06
		ऑल इण्डिया रेडियो (सी:01)	2001–02 से 2004–05	3.06
5	समादेष्टा, बी एम पी – 5, पटना	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना (एच:02, सी:08)	2001–02 से 2004–05	44.81
		dy		263-74

फरवरी एवं जून 2006 के बीच इसे बताए जाने के बाद एस एस पी, पटना ने जून 2006 में 6.12 लाख रुपये का माँग सृजित किया जबकि अन्य एस पी ने कहा कि माँग सृजित की जाएगी।

6-2-10-2 नौ जिलों[4] के आरक्षी अधीक्षकों के पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति संबंधित संचिका के नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2000–01 एवं 2004–05 के अवधि के बीच भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व न्यायाधीशों, भूतपूर्व विधायकों/विधान पार्षदों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया लेकिन पुलिस लागत के 2.71 करोड़ रुपये का न तो निर्धारण किया गया और न ही माँग सृजित की गई थी जैसा की नीचे वर्णित है :

¼yk[k #i;s esa½

Øe l-	dk;kZy; dk uke	fooj.k	çfrfu;Dr ifyl cy		vof/k	jkf'k
			goynkj	fl ikgh		
1	एस पी बक्सर	18 व्यक्तियों (भूतपूर्व विधायक : 6, अन्य : 12)	1	18	2000–01 से 2004–05	41.81
2	एस पी गया	33 व्यक्तियों (भूतपूर्व विधायक : 1, मुखिया : 02, अधिवक्ता : 02, अन्य : 28	..	33	2000–01 से 2004–05	37.13
3	एस पी मधुबनी	10 व्यक्तियों (भूतपूर्व मुख्यमंत्री : 1, भूतपूर्व मंत्री : 1, भूतपूर्व विधायक : 06, भूतपूर्व सांसद : 01, अन्य : 01)	04	09	2000–01 से 2004–05	20.44
4	एस पी मोतिहारी	17 व्यक्तियों (सांसद : 1, विधायक : 1, विधान पार्षद : 1, भूतपूर्व विधायक : 3, भूतपूर्व सांसद : 3, भूतपूर्व विधान पार्षद : 1 चिकित्सक : 1 अन्य : 6)	09	24	2004–05	31.17
5	एस पी नालंदा	1 व्यक्ति (भूतपूव सांसद : 1)	0	1	2003–04 से 2004–2005 (22.8.03 से 31.03.2005)	1.49

[4] *बक्सर, गया, जमुई, कटिहार, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं पटना*

¼yk[k #i;s esa½

Øe l-	dk;kZy; dk uke	fooj.k	çfrfu;Dr ifyl cy		vof/k	jkf'k
			goynkj	fl ikgh		
6	एस एस पी पटना	46 व्यक्तियों (भूतपूर्व राज्यपाल : 1, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों : 3, भूतपूर्व न्यायाधीशों : 4, भूतपूर्व सांसद : 4, भूतपूर्व विधायक : 4, चिकित्सक : 23, अधिवक्ता : 5, अन्य:02)	0	49	2000–01 से 2004–05	41.52
7	एस.पी. कटिहार	3 व्यक्तियों (अन्य : 3)	0	3	2004–05	2.79
8	एस.पी. मुजफ्फरपुर	34 व्यक्तियों (अन्य : 34)	2	32	2000–01 से 2004–05	81.52
9	एस.पी. जमुई	7 व्यक्तियों (भूतपूर्व विधायक : 1, अन्य : 6)	3	30	2001–02 से 2004–05	12.81
					d|y	270-68

फरवरी एवं जून 2006 के बीच इसे बताये जाने के पश्चात एस एस पी पटना ने कहा कि मार्च 2006 में लागत का 41.52 लाख रुपये भुगतान करने हेतु माँग पत्र निर्गत किए गये थे जबकि एस पी बक्सर, गया, जमुई, कटिहार, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं नालंदा ने कहा कि माँग सृजित की जाएगी।

fu"d"kZ

6-2-11 राजस्व के बकाये एवं माँग तथा संग्रहण के निर्धारण हेतु डी सी बी पंजी का संधारण के अनुश्रवण में विभाग विफल रहा। राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के बगैर ही सरकारी राजस्व को विभागीय व्यय के प्रति अनियमित समायोजन किया गया था। रेलवे के विरूद्ध माँग सृजन में असामान्य विलम्ब था और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध माँग सृजित नहीं किए गये थे जिसका कारण विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी थी।

Lohdfr

अभिलेखों के नमूना जाँच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवलोकन सरकार को जुलाई 2006 में प्रतिवेदित किया गया था साथ ही विशेष आग्रह किया गया था कि पुलिस प्राप्ति के लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए आर सी) के बैठक में सम्मिलित हो। ए आर सी की बैठक दिनांक 20 अक्टूबर 2006 को सम्पन्न हुई थी तथा अपर सचिव, (गृह) आरक्षी विभाग ने बैठक में भाग लिया था और सरकार के उत्तर को समीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया है।

[k % [kku ,o [kfut

6-3 bV feêh ,o cky d vo/k [kuu d fy; vFkn.M vkjkfir ugh fd;k tkuk

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 (बि ल ख स नि) के प्रावधानों एवं उसके अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक/ईंट मिट्टी निकालने वाला, अनुज्ञप्ति निर्गत होने से पहले, ईंट भट्ठा की श्रेणियों के आधार पर प्रतिवर्ष एक निर्धारित समेकित रॉयल्टी का भुगतान करेगा। पुनः नियमावली में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि वैद्य पट्टे/अनुज्ञप्ति के बगैर लघु खनिज निकालता है, तो उसे अर्थदण्ड के रूप में उसके मूल्य का भुगतान करना होगा। सरकार उस व्यक्ति से उस अवधि के लिये, जिसमें वह भूमि किसी विधि सम्मत प्राधिकार के बगैर उसके कब्जे में था, यथास्थिति लगान, रॉयल्टी अथवा कर की वसूली कर सकती है।

आठ जिला खनन कार्यालयों[5] में मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के बीच देखा गया कि 2003–04 एवं 2004–05 के ईंट मौसम में विहित रायल्टी का भुगतान किये बिना 739 ईंट भट्ठे संचालित किये जा रहे थे। अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बगैर ही ईट मिट्टी एवं बालू निकाला जा रहा था। खनिज के न्यूनतम मूल्य को रॉयल्टी के समतुल्य मानते हुए 4.47 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

मार्च 2006 में इसे बताये जाने के बाद सहायक खनन पदाधिकारी, (स. ख. प.) मोतिहारी ने कहा कि वि ल ख स नियमावली के नियम 26 (अ) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। स ख पदा का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ईट मिट्टी/लघु खनिज का अवैध खनन/उत्खनन में नियम 40(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोप्य है, जबकि नियम 26 (अ) वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त ईंट भट्ठा मालिक द्वारा समेकित रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित है। जहाँ खनन बगैर अनुज्ञप्ति के किया जा रहा है ये सभी मामले अवैध उत्खनन माने जायेंगे और नियम 40(8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित होगा। अन्य जिला खनन कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को जनवरी से अप्रैल 2006 के मध्य; प्रतिवेदित किए गए थे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

6-4 cUnkcLrh d nLrkotk dk fu"iknu ugh gku d dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत बालू घाटों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा एक कैलेंडर वर्ष के लिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है तथा बन्दोबस्ती आदेश के 60 दिनों के अंदर बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन, मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर जैसा कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में विहित है, किया जाना है। दस्तावेज के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोबस्ती आदेश रद्द माना जायेगा।

तीन जिला खनन कार्यालयों[6] में नियमों के अन्तर्गत वांछित बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन किये बगैर ही 2003 और 2005 के बीच के वर्षों के लिये 32.39 करोड़ रुपये

[5] *भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, लक्खीसराय, मोतिहारी, मुंगेर एवं वैशाली।*
[6] *भोजपुर, मुंगेर तथा पटना ।*

पर 84 बालू घाट क्षेत्रों की बन्दोबस्ती कर दी गई थी। इसके फलस्वरूप 2.04 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई (1.07 करोड़ रुपये के अधिभार सहित)।

अक्टूबर 2004 एवं अगस्त 2005 के बीच इसे बताये जाने के बाद स. ख. प., पटना ने कहा कि मांग पत्र निर्गत कर दी गई है जबकि स ख प, मुंगेर ने मई 2005 में कहा कि राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को फरवरी 2006 मे प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

x % ty nj

6-5 [kfr;kuh r\;kj ugh fd;s tkus ds dkj.k ekax dk l`tu ugh fd;k tkuk

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 एवं उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के लिये जल आपूरित किये गये लाभार्थियों से जलदर की वसूली हेतु खरीफ के लिये 30 नवम्बर, रबी के लिये 30 अप्रील एवं गर्मा फसलों के लिये 15 जून तक, सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकर), कृषकवार मापी (*खेसरा*) तथा माँग विवरणी (*खतियानी*) की तैयारी पूरा कर लिये जाने तथा इसकी वसूली हेतु राजस्व प्रमण्डलों को भेजे जाने की आवश्यकता होती है।

दो प्रमंडलों[7] में मई एवं जुलाई 2005 के बीच देखा गया कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान सिंचित खरीफ के लिये 2.86 लाख एकड़, रबी के लिये 0.61 लाख एकड़ एवं गर्मा फसलों के लिये 0.14 लाख एकड़ भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी तथा जलदर के 3 करोड़ रुपये के लिये माँग सृजन हेतु उन्हें सम्बन्धित राजस्व प्रमण्डलों को नहीं भेजा गया था।

मई एवं जुलाई 2005 के बीच इसे बतलाये जाने के बाद संबंधित कार्यपालक अभियन्ताओं ने जून एवं जुलाई 2005 में बतलाया कि खतियानी तैयार कर ली जायेगी तथा राजस्व प्रमण्डलों को इसके संग्रहण हेतु भेज दी जायेगी।

मामले सरकार को अक्टूबर एवं नवम्बर 2005 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

6-6 pkV Hkwfe dh cUnkscLrh fuEu nj ij fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार सिंचाई नियमावली एवं उसके अधीन निर्गत अनुदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत चाट भूमि[8] की बन्दोबस्ती प्रत्येक वर्ष जून से मार्च तक की अवधि के लिये, 9 महीनों के पट्टे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन किसानों को, विहित दरों पर किया जाना हैं। विभाग ने अप्रैल 2002 में चाट भूमि के बन्दोबस्ती के लिये दरों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के दर पर पुनरीक्षित किया। इसके अतिरिक्त जल दर भी आरोपित होना है।

[7] *भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर एवं त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल*

[8] *नहर के दोनों किनारों पर अवस्थित सरकारी भूमि।*

सोन नहर प्रमण्डल, आरा में यह पाया गया कि 730 एकड़ दो फसलवाली चाट भूमि की बन्दोबस्ती वर्ष 2002–03 से 2004–05 के लिये लागू 1,163 रुपये प्रति एकड़ (जल दर सहित) के पुनरीक्षित दर की बजाए 213 रुपये प्रति एकड़ की पुराने दर पर की गई थी। इसके फलस्वरूप 14.24 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

जुलाई 2005 में इसे बताए जाने के बाद कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पुनरीक्षित दर प्रमण्डल को मार्च 2005 में प्राप्त हुआ था। कार्यपालक अभियंता का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग बिहार द्वारा सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं को दर के पुनरीक्षित किये जाने संबंधित आदेश अप्रील 2002 के महीने में ही भेज दिये गये थे तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा उपरोक्त उल्लेखित मार्च 2005 का पत्र संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण मात्र था।

मामले सरकार को अक्टूबर 2005 में प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

?k% eki ,oa rkSy

6-7 eki ,oa rkSy ds iqulZR;kiu ugha fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh olwyh ugha gksuk

बिहार माप एवं तौल के मानको (प्रवर्तन) नियम (बी एस डब्ल्यू एम नियम), 1988 के साथ पठित माप एवं तौल के मानकों (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के प्रावधानों और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी माप एवं तौल को रखने या नियंत्रण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इसका उपयोग किसी लेन देन या औद्योगिक उत्पादन के नियत से करता हो, तो उस माप एवं तौल को निरीक्षक के सामने सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा तथा कम से कम वर्ष में एक बार विहित शुल्क का भुगतान कर उसपर मुहर लगवायेगा। अधिनियम की अवहेलना पर 500 रुपये तक के जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान है। पुनः बी एस डब्लू एम नियमावली के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मुहर लगवाने की वैध तिथि की समाप्ति के बाद अगर माप एवं तौल पुर्नसत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तब बिलम्ब की अवधि के प्रत्येक तिमाही के लिये नियमों में विहित दर के आधे दर पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। निरीक्षकों को अपने क्षेत्राधिकारी में किसी भी समय अचानक माप एवं तौलों का निरीक्षण/जाँच करना आवश्यक है तथा अधिनियम की अवहेलना का पता लगाने के आशय से माप एवं तौल रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सत्यापन हेतु उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी देना है।

माप एवं तौल के नौ निरीक्षकों के कार्यालयों[9] में वर्ष 2002–03 से 2004–05 की अवधि के उपयोगकर्त्ता रजिस्टर[10] की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि 2,373 उपयोगकर्त्ता अपने माप एवं तौल को पुर्नसत्यापन हेतु प्रस्तुत करने में विफल रहे, निरीक्षकों द्वारा उपकरणों को उसके प्रतिस्थापित जगहों पर निरीक्षण अथवा उपयोगकर्त्ताओं को उसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने के लिये कोई कार्रवाई की शुरूआत नहीं की गई थी। इससे सिर्फ बिना प्राधिकार के उपकरणों का अनियमित उपयोग ही नहीं किया गया बल्कि 13 लाख रुपये के शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की वसूली भी नहीं हुई

---

[9] *बगहा, बेगूसराय सदर, बेगूसराय अतिरिक्त, बेतिया, दानापुर सदर, गया सदर, जहानाबाद, नरकटियागंज एवं शेरघाटी।*

[10] *माप एवं तौल के उपयोगकर्त्ता रजिस्टर को बी एस डब्लू एम नियमावली, के नियम 10 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में रखना है।*

(वर्ष 2002–03 से 2004–05 की अवधि के लिये संगणणित)। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामले में 500 रुपये का दण्ड भी आरोप्य था।

इसे बताये जाने के बाद निरीक्षकों[11] ने मार्च एवं मई 2006 में बताया कि अभिलेखों के जाँचोपरान्त उत्तर दी जायेगी। आगे उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को जुलाई 2006 में प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

6-8 jktLo dk ljdkjh y[kk esa tek ugha gkuk

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 7 के साथ पठित बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार विभागीय प्राधिकारी का यह प्राथमिक उत्तरदायित्त्व है कि वे देखें कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियाँ सही एवं उचित रूप से निर्धारित, वसूली तथा बगैर किसी विलम्ब के सरकारी खाते में जमा हो गई है। बी एस डब्लू एम नियमावली, तथा नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार द्वारा जून 2002 में निर्गत अनुदेश प्राविधित करता है कि निरीक्षकों द्वारा एक सप्ताह के दौरान प्राप्त किये गये सभी भुगतानों को प्रत्येक बुधवार अथवा अगले सप्ताह के किसी भी दिन कोषागार में जमा कर देना अपेक्षित है।

6-8-1 चार अवर प्रमण्डलों[12] द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये 17 जुलाई 2003 से मार्च 2005 के अवधि के रोकड़ पंजी के विवरणों, मनी रसीद एवं चालानों की प्रतियों को कोषागार अभिलेखों से तिर्यक जाँच किये जाने पर पता चला कि माप एवं तौल निरीक्षकों द्वारा संग्रहित 2.69 लाख रुपये या तो रोकड़ पंजी में लेखाबद्ध ही नहीं किये गये अथवा रोकड़ पंजी में लेखाबद्ध किये भी गये परन्तु कोषागार में जमा नहीं किये गये, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

¼jkf'k #i;s esa½

voj çe.My dk uke	vof/k	lxfgr jkf'k	dks"kkxkj esa tek dh xbZ jkf'k	'ks"k
बगहा	2003–04 (17.7.2003 से 31.3.2004)	1,41,929	1,36,608	5,321
	2004–05	1,38,784	1,06,468	32,316
बेतिया	2004–05	1,16,796	57,648	59,148
नरकटियागंज	2003–04 (13.8.2003 से 31.3.2004)	3,05,469	1,99,153	1,06,316
	2004–05	62,531	15,484	47,047
बेतिया सदर	29.3.2005	18,859	शून्य	18,859
	dqy	7]84]368	5]15]361	2]69]007

इसे बतलाये जाने के बाद निरीक्षक, बेतिया सदर ने सरकारी खाते में 18,859 रुपये जमा (मई 2006) किये जिसे मार्च 2005 में ही संग्रहित किया गया था। निरीक्षकों द्वारा राशि के नहीं जमा किये जाने का कारण मार्च 2005 के अन्तिम सप्ताह में व्यापारियों के असामान्य भीड़ तथा उस अवधि में राजस्व की वसूली हेतु चल रहे शिविर को ठहराया गया। शेष मामलों में संबंधित निरीक्षकों ने बताया (मई 2006) कि अभिलेखों की जाँच के बाद जवाब दिया जायेगा। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

11 *बगहा, बेगूसराय अतिरिक्त, बेगूसराय सदर, बेतिया, दानापुर सदर, गया सदर, जहानाबाद, नरकटियागंज और शेरघाटी।*

12 *बगहा, बेतिया, नरकटियागंज एवं बेतिया सदर।*

6-8-2 पुनः प्रभारी निरीक्षक, बेतिया, बगहा एवं नरकटियागंज अवर प्रमण्डलों के कार्यालय के वर्ष 2002–03 से 2004–05 से संबंधित अभिलेखों की मई 2006 में नमूना जाँच से यह पाया गया कि न तो रोकड़ पंजी और न ही निर्गत मनी रसीद का अधपन्ना समुचित रूप से संधारित किये गये थे। सितम्बर 2003 और दिसम्बर 2004 के बीच पड़ने वाले विभिन्न अवधियों के रोकड़ पंजी के विवरणों तथा उसके तदनुरूप मनी रसीद, जिसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था, परिशिष्ट–I में दिया गया है।

मनी रसीद का अधपन्ना तथा रोकड़ पंजी के अभाव में वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 (दिसम्बर 2004 तक) के लिये राजस्व का वास्तविक संग्रहण को तथा कोषागार में प्रेषण को सुनिष्चित नहीं किया जा सका।

इसे बतलाये जाने के बाद निरीक्षक ने बताया (मई 2006) कि उनके पूर्ववर्ती ने अपने स्थानांतरण पर अभिलेखों का प्रभार नहीं सौंपा। जिला पदाधिकारी के आदेश पर एक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में उपलब्ध अभिलेखों की एक सूची बनाई गई थी। सूची बनाने के समय रोकड़ पंजी तथा रसीद बही कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे, अतः अपेक्षित दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पूर्ववर्ती द्वारा सितम्बर 2003 और दिसम्बर 2004 के नहीं सौंपे गये रसीद बही में सम्मिलित राजस्व का दुर्विनियोजन किया गया था।

मामले सरकार को जुलाई 2006 में प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)।

M- % ou çkfIr ;k

6-9 ekx lftr ugh fd;s tkus ds dkj.k ljdkjh jktLo dh olyh ugh gkuk

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च एवं सितम्बर 2004 में यह निदेश दिया कि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि का विचलन करने वाले उपयोगकर्त्ता एजेन्सियों से राज्य सरकार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निधि एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य प्राप्त करेगा तथा निधि को सम्बन्धित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र व प) अथवा राज्य के नोडल पदाधिकारी के नाम से सावधि जमा (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में) के रूप में रखेगा। वर्ष 2004 से 2006 के दौरान सावधि जमाओं पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से 5.5 और 6.5 प्रतिशत के बीच ब्याज प्राप्य था।

6-9-1 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (क्षे मु व सं), मुजफ्फरपुर के अभिलेखों के जून 2005 में किये गये नमूना जाँच से पता चला कि फरवरी 2004 में हुये वन, पथ एवं विद्युत विभागों के अर्न्तविभागीय बैठक में नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ ईन्डिया (एन एच ए आई) द्वारा इस्ट–वेस्ट कॉरीडोर के निर्माण हेतु नेशनल हाईवे 28[13] के किनारे वृक्षों की कटाई का अनुमोदन दिया गया। एन एच ए आई ने मई 2004 में 1 करोड़ रुपये का औपबंधिक राशि क्षे मु व स मुजफ्फरपुर के पास जमा किया जिसका क्षतिपूरक वन रोपण एवे काटे गये वृक्षों को हटाने की लागत का विस्तृत प्राक्कलन लंबित था। वन प्राप्ति के रूप में राशि सरकारी खाता में मई 2004 में जमा हुआ था तथा कार्य को प्रारंभ करने का आदेश जुलाई 2004 में निर्गत किया गया था।

[13] *360.57वें कि.मी. से 520वें कि.मी. (उत्तर प्रदेश सीमा से मुजफ्फरपुर)*

कटे हुए वृक्षों के लागिंग एवं ढुलाई तथा वृक्षारोपण के मद में एन एच ए आई से वसूली हेतु क्षे मु व सं, मुजफ्फरपुर ने जुलाई 2004 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार (प्र मु व स) के पास 2.87 करोड़ रुपये का विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया तथा शेष राशि 1.87 करोड़ रुपये के लिये एन एच ए आई को मांग सृजित करने का आग्रह प्र मु व स से किया। हालाँकि लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2005) तक माँग सृजित नहीं की गई थी।

इसे बतलाये जाने के बाद क्षे मु व सं, मुजफ्फरपुर ने अगस्त 2006 में कहा कि एन एच ए आई के पास शेष देय राशि हेतु माँग सृजित करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

6-9-2 नमूना जाँच से यह भी प्रकटित हुआ कि एन एच ए आई से प्राप्त 1 करोड़ रुपये की राशि को सावधि जमा के रूप में रखने, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था, के बावजूद मई 2004 में राजस्व प्राप्ति के रूप में सरकारी खाते में जमा कर दिया गया था। इससे मई 2004 से अगस्त 2006 की अवधि के लिये 12.83 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

मामले सरकार और विभाग को अप्रील एवं अक्टूबर 2006 में प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

6-10 ou Hkfe l cn[ky ugh fd;k tkuk

समय समय पर संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है। कोई भी वन पदाधिकारी, जो प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण हो कि सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण करने वाले को बेदखल तथा बिहार पब्लिक लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट (वि प लै ई, एक्ट), 1956 के तहत एक दण्डाधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अतिक्रमण करने वालो से वन उत्पादों एवं वन भूमि की क्षति हेतु रॉयल्टी एवं क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भी अधिनियम प्राविधित करता है।

वन भूमि का अतिक्रमण सतत जारी रहना तथा उसपर किसी प्रकार का अनधिकृत क्रियाकलाप, माननीय उच्चतम न्यायालय[14] के अतिक्रमणकारियों से पूर्ण बेदखल करने के आदेश की अवहेलना मानी जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ने शीर्ष न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले वन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु जून 2003 में निर्देश निर्गत किये थे।

6-10-1 अररिया वन प्रमंडल में दिसम्बर 2005 में यह पाया गया कि अररिया वन प्रक्षेत्र (पूर्व में पूर्णिया वन प्रमंडल के अधीन) के अरहा मदारगंज सुरक्षित वन में 18.44 लाख रुपये मूल्य के 3.18 हेक्टेयर वन भूमि का वर्ष 1992–95 के बीच अतिक्रमण किया गया था लेकिन वन कानून के तहत् बेदखल किया जाना लंबित था। वि प लै ई एक्ट, के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के बजाये न्यायालय में वर्ष 1992 और 1995 के बीच मुकदमा दायर किया गया, जिसने अप्रील 2002 में मुकदमा को खारिज कर दिया। नमूना जाँच में पुनः यह पाया गया कि यद्यपि प्र व प, पूर्णिया ने बेदखली की प्रक्रिया जारी रहने का प्रतिवेदन प्र मु व सं को दे दिया था, मार्च 2004, जब नये सृजित अररिया वन प्रमंडल को अभिलेख हस्तांतरित कर दिये गये थे, तक

[14] *मुकदमा सं. – डब्लू. पी. – 202/95*

अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मई और नवम्बर 2002 के बीच कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के अलावे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। प्र व प, अररिया वन प्रमंडल ने भी वन भूमि को अतिक्रमणकारी से बेदखल हेतु कोई कार्रवाई, लेखापरीक्षा की तिथि (दिसम्बर 2005) तक नहीं की।

इसे बतलाये जाने के बाद क्षे मु व सं, मुजफ्फरपुर ने अगस्त 2006 में बताया कि अतिक्रमण के अधीन वन क्षेत्रों के भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि वन क्षेत्र पूर्णतः बंजर तथा वृक्षहीन था एवं है उस प्र व प को अतिक्रमित वन भूमि को तीव्रता से बेदखल करने हेतु निर्देश दिया गया है। वन उत्पाद के हानि की सीमा का यद्यपि माँग की गई, सूचित नहीं किया गया (अक्टूबर 2006)।

6-10-2 नवादा और सासाराम वन प्रमंडलों में अगस्त और सितम्बर 2005 में यह पाया गया कि 13 वन अपराध के मामलों में संबंधित प्रक्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा 2.04 करोड़ रुपये मूल्य के 35.10 हेक्टेयर[15] वन भूमि के अतिक्रमण जुलाई एवं सितम्बर 2004 में प्रतिवेदित किये गये थे। भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अपेक्षित तथा शीर्ष न्यायालय के विनिर्दिष्ट आदेशों के बावजूद अतिक्रमित वन भूमि के बेदखली सुनिष्चितता हेतु विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त एवं सितम्बर 2005) तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसे बतलाये जाने के बाद प्र व प, नवादा ने अगस्त 2005 में बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा करने के बाद उत्तर दिया जायेगा, जबकि प्र व प, सासाराम ने सितम्बर 2005 में बताया कि बेदखली हेतु कार्रवाई की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को अप्रील एवं मई 2006 में प्रतिवेदित किए गए ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

6-11 tCr ou mRikn dk fu"iknu ugh fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh gkfu

भारतीय वन अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब कहीं भी यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि किसी वन उत्पाद से संबंधित कोई वन अपराध हुआ है, तब उस उत्पाद के साथ उस अपराध में उपयोग किये गये वाहन, औजार इत्यादि को वन पदाधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे जब्ती के प्रतिवेदन पर वन पदाधिकारी, जो प्र व प के पद से नीचे का न हो, जब्त सामग्रियों का अधिहरण कर सकता है तथा इसके निष्पादन की अनुमति हेतु मामले को उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारियों के पास प्रतिवेदित करेगा।

तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में जून 2005 में यह पाया गया कि सीमा शुल्क प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अधिकारियों ने अप्रील 1998 में 5.63 लाख रुपये मूल्य के 11.265 टन कत्था के लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया, जिसे अवैध रूप से काटा गया था तथा वन नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वन उत्पाद को अपने अधीन ले लेने के लिये प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी को सूचित किया। प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी ने अगस्त 1999 में जब्त सामग्रियों के अधिहरण का आदेश दिया तथा प्रक्षेत्र पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) को इसे अपने कब्जे में लेने हेतु निर्देश दिया। प्रतिवादी द्वारा दायर अपील जिला दण्डाधिकारी सह अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिसम्बर

[15] *रजौली : आठ मामलों में 30 हेक्टेयर ; कौआकोल : दो मामलों में 1.62 हेक्टेयर ; रोहतास : दो मामलों में 3.24 हेक्टेयर तथा चेनारी : एक मामला में 0.24 हेक्टेयर।*

2001 में खारिज कर दिया गया तथा सामग्रियों को अन्ततः 2002–03 में निष्पादन हेतु उपलब्ध करा दिया गया। सीमा शुल्क प्रमंडल द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद भी प्रक्षेत्र पदाधिकारी जब्त किये गये सामग्रियों को अपने कब्जे में लेने में विफल रहे। प्र व प ने भी दोषी प्रक्षेत्र पदाधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। तत्पश्चात् सीमा शुल्क प्रमंडल ने मई 2005 में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से लकड़ी को 0.68 लाख रुपये में बेच दिया तथा इसे केन्द्र सरकार के खाते में जमा करा दिया। इस प्रकार सामग्रियों को अपने कब्जे में लेने तथा इसके निष्पादन करने में वन विभाग की विफलता के फलस्वरूप 5.63 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बतलाये जाने के बाद क्षे मु व सं, मुजफ्फरपुर ने अगस्त 2006 में बताया कि राजस्व की हानि के लिये उत्तरदायी कर्मियों की पहचान हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आगे उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को अप्रील 2006 में प्रतिवेदित किए गए ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

iVuk
fnukd

¼v:.k dqekj flag½
ç/kku egkys[kkdkj ¼ys[kkijh{kk½] fcgkj

çfrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh
fnukd

¼fot; Un ukFk dkSy½
Hkkjr ds fu;=d&egkys[kkijh{kd